

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 एन0 विजयलक्ष्मी,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना-15, दिनांक-.....14/06/2018

**विषय :-** माह जून-जुलाई, 2018 (22.06.2018 से 06.07.2018 तक) में आयोजित किये जाने वाले "पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवारा" के तहत Haemorrhagic Septicaemia & Black Quarter (HS & BQ) रोगों के विरुद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम की अवधि में पशु एवं मत्स्य संसाधन (पशुपालन) विभाग के अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को गैर विभागीय कार्यों से मुक्त रखने के संबंध में।


**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में माह जून-जुलाई, 2018 (22.06.2018 से 06.07.2018 तक) में "पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवारा" के अन्तर्गत राज्य स्कीम के तहत पशुओं में Haemorrhagic Septicaemia & Black Quarter (HS & BQ) रोगों के विरुद्ध निःशुल्क व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जाना है। उक्त टीकाकरण अभियान आसन्न बाढ़ के समय एवं बाढ़ के उपरान्त राज्य के पशुओं को जानलेवा पशु रोगों Haemorrhagic Septicaemia & Black Quarter से बचाव में सहायक होगा।

उल्लेखनीय है कि उक्त टीकाकरण कार्य जिला स्तर पर जिला पशुपालन पदाधिकारी के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में सम्पन्न कराया जाना है। टीकाकरण कार्य हेतु बहुत अधिक संख्या में मानव-बल की आवश्यकता है तथा इसमें पशु एवं मत्स्य संसाधन (पशुपालन) विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी संलग्न रहेंगे।

अतः अनुरोध है कि उक्त टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिये पशु एवं मत्स्य संसाधन (पशुपालन) विभाग के अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को गैर विभागीय कार्यों से मुक्त रखा जाय तथा इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु अपने स्तर से इस कार्यक्रम का जिला स्तर पर उद्घाटन किया जाय जिसमें जिला के माननीय जन् प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय।


विश्वासभाजन

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10 नि0 (टीका) 03/2018.....1809(नि०)..... दिनांक- .....14/06/2018

**प्रतिलिपि :-** निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि :-** विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने) हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के सचिव ।

